म.म. कुमार जे. के समक्ष

रेखा कुमारी - अपीलकर्ता/वादी

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाताओं/ प्रतिवादी

से.डब्लू.पी. 2004 का संख्या 12218

17 मार्च, 2006

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-एलपीजी वितरण के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला निगम--याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 को पात्रता मानदंड के अनुसार आवंटन के लिए पात्र पाया गया-एलपीजी वितरण के आवंटन के लिए प्रतिवादी संख्या 4 का चयन-उसे चुनौती-आरोप प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध आय छुपाने का आरोप - याचिकाकर्ता द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अर्जित आय का विवरण प्रस्तुत करना - तथ्य के विवादित प्रश्न - मामला सिविल न्यायालय को भेजा गया - साक्ष्य दर्ज करने के बाद सिविल न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय का पता लगाया और उनका परिवार 2 लाख रुपये की आवश्यक राशि से कहीं अधिक है - भौतिक तथ्यों को छिपाना - एलपीजी वितरण के पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड के पैरा 2 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 का आवेदन बिना कोई कारण बताए खारिज किया जा सकता है - प्रतिवादी संख्या 4 का चयन अवैध माना गया है - क्या पूरा चयन रद्द किया जा सकता है - अभिनिर्णित, नहीं - न तो मानदंड को चुनौती दी गई है और न ही चयन के मानदंड में कोई अवैधता है जैसा कि विज्ञापन या आवेदन पत्र में बताया गया है - प्रतिवादी संख्या 4 को आय मानदंड के आधार पर अयोग्य पाया गया - याचिकाकर्ता जो योग्यता सूची में दूसरे स्थान पर था, वह इसका हकदार है एलपीजी वितरण प्रदान की जाए - लागत सहित याचिका स्वीकार की गई।

अभिनिर्णित, आवेदन के खंड 2(ई) और चयन के मानदंड के खंड 6 से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किसी भी स्थिति में आवेदक की सकल पारिवारिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो इस मामले में है 1999-2000 है। खंड 6 यह और स्पष्ट करता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों की आय को शामिल करना आवश्यक था। यदि उम्मीदवार माता-पिता पर निर्भर था तो कुल आय की गणना के लिए माता-पिता की आय को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक आय की घोषणा में 1,65,305 रुपये की राशि दिखाई है, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उक्त बैंक को किराये पर दी गई संपत्ति से कुल किराये की आय 72,240 रुपये आंकी गई है। याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र में अपनी सकल आय दर्शाने की आवश्यकता थी, जो 79,653 रुपये है और यह रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से काफी हद तक साबित होता है, भले ही सिविल जज की रिपोर्ट को ध्यान

में नहीं रखा गया हो। मेरा यह भी मानना है कि सिविल जज की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पारित 20 दिसंबर, 2001 के आदेश में पक्ष साक्ष्य और रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग के लिए सिविल जज चंडीगढ़ की अदालत के संदर्भ के लिए सहमत हुए हैं। सिविल जज ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय 3,99,534 रुपये और 80 पैसे है। किसी भी मामले में, उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रिकॉर्ड पर दस्तावेजी सबूत से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 4 और उनके परिवार की सकल आय 2,00,000 रुपये के मानदंड द्वारा अनुमानित अधिकतम आय से कहीं अधिक है।

(पैरा 26 और 27)

आगे निर्णीत किया, ऐसे मामलों में जहां एक चयनित उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चयनित सूची में अगले उम्मीदवार को राहत देने का विचार किया जाता है, जैसा कि राज बाला बनाम भारत संघ, सिविल अपील 1995 का संख्या 7718 का निर्णय 23 अगस्त, 1995 को हुआ। उस मामले में एक चयनित उम्मीदवार को आय मानदंड के आधार पर अयोग्य पाया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू की थी, उनके आधिपत्य ने न केवल चयन और नियुक्ति को रद्द कर दिया बल्कि निर्देश दिया कि रिट याचिकाकर्ता को डिस्ट्रीब्यूटरशिप का पुरस्कार। वर्तमान मामले में भी प्रतिवादी संख्या 4 को आय मानदंड के आधार पर अयोग्य पाया गया है जबकि याचिकाकर्ता ऐसी किसी भी विकलांगता से पीड़ित नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता को एलपीजी वितरण प्रदान करना उचित और उचित होगा।

(पैरा 31 और 32)

ए के चोपड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, और उनके साथ दीपिंदर मल्होत्रा, अधिवक्ता और जगदीश मनचंदा, अधिवक्ता याचिकर्ता के लिये

आशीष कपूर, अधिवक्ता, उत्तरदाता संक्य 2 और 3 के लिए

म एल सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, और उनके साथ हेमंत सरीन अधिवक्ता, उत्तरदाता सख्य 4 के लिए

निर्णय

म म कुमार, जे

(1) मानव स्वभाव जटिल है। यह लोगों को शादियों, विभिन्न पार्टियों और विशाल बंगले बनाकर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। फिर यह लोगों को अपना धन छुपाने के लिए भी प्रेरित करता है। निस्संदेह, अवसर अलग-अलग हैं। मौजूदा मामला आय के प्रदर्शन के बजाय उसे छुपाने का है, क्योंकि मौका अलग था। एलपीजी-वितरण के आवंटन के लिए प्रतिवादी संख्या 4-जगदीश लाई का चयन, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस

याचिका में चुनौती का विषय है। उनके चयन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उनकी आय उत्तरदाताओं 2 और 3-इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जारी विज्ञापन में बताए गए मानदंडों से अधिक है। याचिकाकर्ता, जो स्वयं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए एक उम्मीदवार थी, द्वारा की गई प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 4 के चयन को रद्द करने और उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने के लिए है क्योंकि उसे क्रम संख्या 2 पर चयनित उम्मीदवार की सूची में पाया गया है।

संक्षिप्त तथ्य :

(2) चीका, जिला कैथल के लिए खुली श्रेणी के तहत एक एलपीजी वितरक उपलब्ध हो गया और इसे एक पात्र व्यक्ति को आवंटित किया जाना आवश्यक था। तदनुसार, 21 अगस्त, 2000 (पी-1) को खुली श्रेणी के संबंध में एलपीजी वितरक के आवंटन के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में पात्रता शर्तों का उल्लेख किया गया था। आइटम 2 के उप-खंड (ई) में, आय के संबंध में मानदंड पिछले वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 2,00,000 रुपये से अधिक की सकल पारिवारिक आय नहीं थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, 2000 थी। याचिकाकर्ता ने 5 अक्टूबर, 2000 को आवेदन किया और आवेदन पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल में जमा कर दिया। एलपीजी वितरकशिप प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया गया था। याचिकाकर्ता को 10 मई, 2001 के पत्र द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और उसे 5 जून, 2001 को सुबह 10:30 बजे उपस्थित होना था, उसने साक्षात्कार के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ शपथ पत्र जमा करने का दावा किया था। साक्षात्कार में शामिल 80 अभ्यर्थियों में से याचिकाकर्ता को चयन सूची में क्रमांक 2 पर और प्रतिवादी क्रमांक 4 को क्रमांक 1 पर रखा गया था। परिणाम प्रतिवादी संख्या 2 के नोटिस बोर्ड पर घोषित किया गया था और 8 जून, 2001 का हस्तलिखित परिणाम रिकॉर्ड (पी-5) पर रखा गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी क्रमांक 4, जिसे चयन सूची में क्रमांक 1 पर रखा गया है, वास्तव में आवंटन के लिए अयोग्य है क्योंकि उसकी आय प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 2,00,000 रुपये से कहीं अधिक है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को इस संबंध में एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम होने का उल्लेख करते हुए गलत घोषणा दायर की है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं। कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक आय के साथ-साथ एक विज्ञान अध्यापिका के रूप में अनुभव को सही ढंग से घोषित किया है। जबकि प्रतिवादी नंबर 4 पर आरोप है कि उसके पास कोई अनुभव नहीं है, जिसने कृषक होने का झूठा दावा किया है। याचिका के पैरा 9 में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता की सकल वार्षिक आय 3,55,184

रुपये 80 पैसे है। विवरण पैरा 9 के उप-पैरा में दिया गया है और इसे निम्नानुसार सारांशित किया गया है: -

"(ए) 15,658 रुपये की आय - प्रतिवादी संख्या 4 की मां श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम पर और प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी श्रीमती प्रेम कांता के नाम पर 52,000 रुपये की दो संचयी जमा रसीदें (सीडीआर) थीं। दोनों 19 सितंबर, 1997 को जारी किए गए थे। सीडीआर में उल्लिखित परिपक्वता की तारीख 19 दिसंबर, 2000 है। सीडीआर पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। दोनों को उनमें से किसी एक या उत्तरजीवी द्वारा धारण किया जाना है। तिवादी संख्या 4 की मां श्रीमती लक्ष्मी देवी की मृत्यु 17 मई, 1998 को हो गई थी और इस प्रकार सीडीआर की उक्त राशि स्वचालित रूप से जीवित व्यक्ति होने के नाते श्रीमती प्रेम कांता की संपत्ति बन गई। एलपीजी वितरक के लिए आवेदन करते समय प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान उपरोक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज के रूप में 15,658 रुपये अर्जित हुए, जो कि एफ.डी.आर. पर आय है और इसे प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी वार्षिक सकल पारिवारिक आय का उल्लेख करते समय शामिल नहीं किया है।

(बी) 22,800 रुपये की आय - प्रतिवादी संख्या 4 का खाता संख्या 3993 द सीवान को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, सीवान में है। उन्होंने 7 दिसंबर, 1998 को 21,500 रुपये का ऋण लिया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 ने 14 मई, 1999 को 1,300 रुपये ब्याज के साथ चुकाया था। 22,800 रुपये की राशि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा सोसायटी को वापस कर दी गई थी। संख्या 22,800 की यह राशि आय में, धन के स्रोतों के विवरण में या आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई गई है। इसे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर प्रपत्र में भी घोषित नहीं किया गया है।

(सी) 64379 रुपये की आय - प्रतिवादी संख्या 4 ने भारतीय स्टेट बैंक, सीवान से अपने नाम पर और अपनी मां श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम पर वर्ष 1997 में ट्रैक्टर ऋण लिया है। प्रतिवादी संख्या 4 ने इस दौरान 64,379 रुपये का भुगतान किया था। 1999-2000 का वित्तीय वर्ष। 64,379 रुपये का भुगतान आयकर रिटर्न के साथ-साथ वार्षिक आय की घोषणा में या प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उत्तरदाताओं को दिए गए विवरण में नहीं दिखाया गया है।

(डी) पीएनबी, सीवान में खाता संख्या 9135 में 55,000 रुपये जमा किए गए - प्रतिवादी संख्या 4 ने पंजाब नेशनल बैंक, सीवान में एक बचत बैंक खाता संख्या 9135 खोला है। खाता 12 जून 1999 को 200 रुपये की राशि के साथ खोला गया था और उसी तिथि को 55,000 रुपये की राशि उपरोक्त खाते में जमा की गई थी। और इस बैंक खाते पर एक लॉकर भी संचालित किया जा रहा था। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज अर्जित किया गया था लेकिन इसे प्रतिवादी संख्या 4 की आय में नहीं दिखाया गया है। यह राशि आयकर रिटर्न में भी नहीं दिखाई गई है।

(ई) 72,240 रुपये + 13,200 रुपये की सीमा तक किराये की आय - प्रतिवादी संख्या 4 को एसबीआई, सीवान से किराए के रूप में 1,44,480 रुपये मिल रहे हैं और परिसर में उनका आधा हिस्सा है। किराये की आय आधी होकर 72,240 रुपये आती है। प्रतिवादी संख्या 4 की एसबीआई बिल्डिंग में पक्की सड़क से सटी दो दुकानें हैं और दुकानों से किराये की आय 26,400 रुपये प्रति वर्ष है। प्रतिवादी संख्या 4 दो दुकानों के किराये का V% हिस्सा पाने का हकदार है, जो 13,200 रुपये बनता है। हालाँकि प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा इसे वार्षिक आय की घोषणा में नहीं दर्शाया गया है।

उपरोक्त पैरा के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 की सकल पारिवारिक आय 3,55,184 रुपये 80 पैसे से अधिक है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 पात्र मानदंडों के अनुसार चीका में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए पात्र नहीं है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 की कुल आय को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है: -

(i)	*वार्षिक आय दिखाई गई आयकर रिटर्न में (रु. 1,65,305.50 + Rs.801.30.30)*	*..रुपये.1,66,106.80*
(ii)	*पर ब्याज अर्जित किया C.D.R. का O.B.C., सिवान ऊपर (ए) के रूप में*	*.. रुपये. 15,658.00*

(iii) *में राशि वापस आ गई खाता नं। 3993 का ऊपर (बी) के रूप में सिवान सहकारी सोसायटी* *..रुपये.22,800.00* *..रुपये.22,800.00* *..रुपये. 801.00*

(iv) *में राशि वापस आ गई ट्रैक्टर ऋण खाता S.B.I., सिवान*

(vi) *किराए से एस.बी.आई. शाखा .. रुपये. 72,240.00 ऊपर (ई) के रूप में सिवान*

(vii) *दो दुकानों के किराए के रूप में .. रुपये. 13,200.00 ऊपर (ई) पर*

कुल .. रुपये. 3,55,184.80"

(3) याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दर्शाई गई सकल आय 1,66,106 रुपये और 80 पैसे है, जो उनकी जानकारी के अनुसार बिल्कुल गलत है। उसने आगे दावा किया है कि याचिकाकर्ता बीएससी बीएड होने के कारण बेहतर योग्यता रखती है जबकि प्रतिवादी नंबर 4 केवल बीए द्वितीय वर्ष पास है। याचिकाकर्ता के पास पढ़ाने का अनुभव है और प्रतिवादी नंबर 4 के पास कोई अनुभव नहीं है। याचिकाकर्ता ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का समर्थन करने के लिए अपने पास उपलब्ध धनराशि दिखाई है, जो 6,00,000 रुपये से अधिक है, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 ने आवेदन पत्र में अपने पास केवल 35,000 रुपये उपलब्ध दर्शाए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने आवेदन में भौतिक तथ्यों का गलत बयान किया गया है और उपरोक्त छिपाव के आधार पर उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है।

(4) प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने लिखित बयान में व्यापक तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 को चयन सूची में क्रम संख्या 1 पर रखा गया था और याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 2 पर रखा गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रतिनिधित्व 12 तारीख का है याचिकाकर्ता द्वारा जुलाई 2001 में आय व अन्य तथ्य छुपाने के संबंध में मामला दर्ज कराया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अभ्यावेदन में अध्यक्ष,

डीलर्स चयन बोर्ड, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 3) को संदर्भित किया गया था, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 के दिल्ली राज्य कार्यालय के महाप्रबंधक को आरोपों की जांच करने की सलाह दी थी। महाप्रबंधक द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसमें मुख्य प्रबंधक स्तर के दो अधिकारी शामिल हैं और समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी। हालाकि, यह दावा किया गया है कि उनके आवेदन में आय की घोषणा के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 पात्र था क्योंकि आवेदन में घोषित उनकी आय निर्धारित सीमा के भीतर है। दावा किया गया है कि उनका चयन डीलर चयन बोर्ड द्वारा उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक आपत्तियों में, प्रतिवादी नंबर 2 ने दावा किया है कि इस न्यायालय को चयन प्रक्रिया पर अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठना चाहिए और इस संबंध में डीए स्लौंके बनाम बीएस महाजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया है। 1), यह भी दावा किया गया है कि तत्काल याचिका समय से पहले है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट का इंतजार है।

(5) प्रतिवादी संख्या 3 यानी डीलर्स सिलेक्शन बोर्ड, हरियाणा ने अपने अलग लिखित बयान में दावा किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने श्रीमती प्रेम कांता का एक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में खाता संख्या 511 और 512 में कुल सावधि जमा का खुलासा किया था। 1,52,726 रुपये की राशि और वह प्रतिवादी संख्या 4 को उपरोक्त राशि प्रस्तुत करने के लिए तैयार। इसमें वार्षिक आय (आर-3/1) की घोषणा की एक प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें यह 1,65,305 रुपये दिखाया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा शपथ पत्र दिनांक 20 सितंबर, 2000 को भी अनुलग्नक आर-3/2 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है, जो घोषणा करता है कि प्रतिवादी क्रमांक 4 की आय पिछले वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रति वर्ष 2,00,000 रुपये से कम है। उपरोक्त दावे का समर्थन करने के लिए इसके साथ आयकर रिटर्न भी संलग्न है (आर-3/3)।

(6) प्रतिवादी संख्या 4 यानी चयनित उम्मीदवार ने अपने लिखित बयान में कई प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं। उनके अनुसार रिट याचिका तथ्य के विवादित प्रश्न उठाती है जिसमें व्यापक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल करने की आवश्यकता है। दावा किया गया है कि रिट याचिका देर से दायर की गई है क्योंकि यह 8 जून 2001 को किए गए चयन को चुनौती देने के लिए 16 अगस्त 2001 को दायर की गई थी। दो महीने की अंतराल अवधि के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 ने 4 मापने वाली भूमि खरीदने के लिए एक समझौता करने का दावा किया है। गांव चीका में एलपीजी गोदाम स्थापित करने के लिए कनाल और बयाना राशि के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया है। दिनांक 28 मई, 2001 को बेचने के समझौते की एक प्रति रिकॉर्ड (आर-4/1) पर रखी गई है। बताया जाता है कि एलपीजी शोरूम की स्थापना के लिए गांव चीका में 3,000 रुपये के किराये पर कुछ परिसर किराए पर लिए गए थे और कथित तौर पर

पट्टादाता को अग्रिम किराया भी दे दिया गया था। रिट याचिका पर आरोप लगाया गया है कि वह समय से पहले दायर की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत को अधिकारियों की समिति के पास भेज दिया गया है, जिसे अपना निर्णय देना था। 12 जुलाई 2001 की शिकायत की एक प्रति, जिसे 24 सितंबर 2001 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 को भेजा गया था, को भी रिकॉर्ड (आर-4/2) में रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 दिनांक 8 अक्टूबर 2001 द्वारा भेजा गया उत्तर भी रिकॉर्ड (आर-4/3) पर रखा गया है। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 ने आवेदन किया है। आय के आरोप के संबंध में, पैरा 9 के उप-पैरा पर विस्तृत उत्तर दायर किया गया है और इसे निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है: -

(ए) उनकी मां और पत्नी के नाम प्रत्येक के लिए 52,000 रुपये की एफडीआर के संबंध में तथ्य स्वीकार किया गया है। 1999-2000 के दौरान उक्त दो एफडीआर के तहत अर्जित ब्याज 16,000 रुपये यानी 8,000 रुपये प्रति एफडीआर था। यह भी माना गया कि उनकी मां की मृत्यु 17 मई 1998 को हुई थी। कहा जाता है कि उनके और श्रीमती प्रेम कांता द्वारा रखी गई एफडीआर से ब्याज उनके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में अर्जित हुआ है, जो प्रतिवादी संख्या 4 और उनके भाई श्री राम लाई मेहता हैं। इसलिए, यह दावा किया गया है कि श्रीमती प्रेम कांता के नाम पर 8,000 रुपये, 4,000 रुपये के अन्य एफडीआर के ब्याज में से 8,000 रुपये का ब्याज 1999-2000 के दौरान अर्जित हुआ था। दो एफडीआर से 1999-2000 में प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में अर्जित कुल ब्याज 12,000 रुपये [4,000 + 8,000] आता है। 12,000 रुपये के कथित अर्जित ब्याज को ध्यान में रखने के बाद भी 1999-2000 के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय 2,00,000 रुपये से कम आती है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी 2 और 3 से दो एफडीआर छुपाने के आरोपों से इनकार किया गया है। दावा किया गया है कि दोनों एफडीआर और उस पर मिलने वाले ब्याज के बारे में तथ्य उनके संज्ञान में लाए गए थे। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को उक्त दो एफडीआर के बारे में पता होने का दावा किया गया जब उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में एलपीजी वितरक देने का निर्णय लिया।

(बी) यह दावा किया गया है कि उत्तर के तहत याचिका के उप-पैरा में उल्लिखित आंकड़े आय से संबंधित नहीं हैं। 16 मार्च 1999 को, प्रतिवादी संख्या 4 ने दावा किया कि उसने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सीवान पर आहरित चेक संख्या 000543 के माध्यम से श्री आरसी मेहता के पुत्र श्री

पवन कुमार को 70,000 रुपये का ऋण दिया था। 12 मई 1999 को कथित श्री पवन कुमार ने प्रतिवादी संख्या 4 को 70,000 रुपये की ऋण राशि में से 25,000 रुपये लौटा दिए। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्राप्त इस 25,000 रुपये में से 22,800 रुपये उनके द्वारा सीवान कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड को वापस कर दिए गए। इस प्रकार, जैसा कि आरोप लगाया गया है, सीवान कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी लिमिटेड का ऋण आय के किसी अन्य अज्ञात स्रोत से नहीं चुकाया गया था। श्री पवन कुमार को दिया गया ऋण प्रतिवादी संख्या 4 के खातों में विधिवत दर्शाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 से उनके द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में श्री पवन कुमार का एक हलफनामा रिकॉर्ड में रखा गया है (अनुलग्नक आर-4/4)।

(सी) जैसा कि कहा गया है वह उप-पैरा (सी) गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। इसके उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर के तहत उप-पैरा में उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दावा किया गया है कि 1997 में प्रतिवादी संख्या 4 और उनकी मां श्रीमती लक्ष्मी देवी ने भारतीय स्टेट बैंक से 2,00,000 रुपये का ऋण लिया था। 17 मई 1998 को उनकी मृत्यु के बाद, उनके हिस्से के ऋण का कुछ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के भाई, श्री राम लाई द्वारा चुकाया गया। 1999-2000 के दौरान एसबीआई को उक्त ऋण का पुनर्भुगतान इस प्रकार था:-

* 18 जून, 1999 को, श्री पवन कुमार (जिन्हें 17 मार्च 1999 को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 70,000 रुपये अग्रिम दिए गए थे) ने प्रतिवादी संख्या 4 को 10,000 रुपये नकद लौटा दिए। प्रतिवादी संख्या 4 पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एसबीआई में 10,000 रुपये जमा किए थे। 19 जून 1999.
* 6 अगस्त 1999 को, प्रतिवादी संख्या 4 पर पंजाब नेशनल बैंक, सीवान (पीएनबी) में अपने खाता संख्या 9135 से 20,000 रुपये निकालने का आरोप है। 1 सितंबर 1999 को, उनके भाई श्री राम लाई ने अपनी मां के हिस्से के ऋण की अदायगी के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को 5,000 रुपये नकद दिए। 2 सितंबर 1999 को कुल 25,000 रुपये [20,000 + 5,000] की राशि एसबीआई में जमा की गई थी।

* अक्टूबर 1999 में, श्री राम लाई पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 को अपनी मां के हिस्से के ऋण की अदायगी के लिए 8,000 रुपये नकद दिए थे। प्रतिवादी संख्या 4 ने यह 8,000 रुपये 4 अक्टूबर 1999 को एसबीआई में जमा कर दिए।
* 15 नवंबर 1999 को, श्री पवन कुमार (जिन्हें 16 मार्च 1999 को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 70,000 रुपये दिए गए थे) ने प्रतिवादी संख्या 4 को 10,000 रुपये नकद लौटा दिए। प्रतिवादी संख्या 4 ने 15 नवंबर 1999 को एसबीआई में 10,000 रुपये जमा किए।
* दिसंबर 1999 में, श्री राम लाई ने प्रतिवादी संख्या 4 को उनकी माँ के हिस्से का ऋण चुकाने के लिए 8,500 रुपये नकद दिए। कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने 9 दिसंबर 1999 को एसबीआई में 8,500 रुपये जमा किए थे।
* 3 दिसंबर 1999 को, श्री पवन कुमार (जिन्हें 16 मार्च 1999 को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 70,000 रुपये अग्रिम दिए गए थे) ने प्रतिवादी संख्या 4 को 25,000 रुपये नकद लौटा दिए, प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने पास से 810 रुपये के साथ 15,000 रुपये जमा किए। 9 दिसंबर 1999 को एसबीआई के पास अपनी जेब थी।

इस प्रकार, ऋण की अदायगी का विधिवत हिसाब-किताब किया गया बताया गया है और इसका भुगतान आय के किसी भी अज्ञात स्रोत से नहीं किया गया है। एसबीआई के साथ ऋण खाते की एक प्रति संलग्न की गई है (अनुलग्नक आर-4/5)।

(डी) 18 मार्च 1999 को, प्रतिवादी संख्या 4 ने श्री एमएल मेहता के पुत्र श्री मुनीश मेहता को ऋण के रूप में 50,000 रुपये का ऋण दिया था। उक्त ऋण ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सीवान (ओबीसी) पर आहरित चेक संख्या 000545 द्वारा दिया गया था। श्री मुनीश मेहता को दिया गया यह ऋण प्रतिवादी संख्या 4 के खातों और आयकर रिटर्न में विधिवत दर्शाया गया है। 11 जून 1999 को, श्री मनीष मेहता ने उक्त राशि प्रतिवादी संख्या 4 को नकद में लौटा दी। 10 जून 1999 को, प्रतिवादी संख्या 4 पर मेसर्स श्री राम सीड्स से 5,000 रुपये निकालने का आरोप है, जिसमें वह भागीदार है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पीएनबी में अपने खाते में 55,000 रुपये [50,000 + 5,000] की कुल नकद राशि जमा करने का दावा किया गया है। 55,000 रुपये की यह राशि 200 रुपये से अधिक थी, जिससे प्रतिवादी संख्या 4 ने

पीएनबी में उक्त खाता खोला था और जिसमें 200 रुपये प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी जेब से दिए थे। प्रतिवादी संख्या 4 से उनके द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में श्री मुनीश मेहता का एक शपथ पत्र रिकॉर्ड पर रखा गया है (अनुलग्नक आर-4/6)। 1999-2000 के दौरान पीएनबी के खाते में जमा होने वाले 101 रुपये के ब्याज को प्रतिवादी संख्या 4 के खातों या आयकर रिटर्न में अलग से प्रतिबिंबित नहीं किया गया था। यदि राशि भी शामिल है तो प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय 1999-2000 के दौरान यह 2,00,000 रुपये से भी कम हो गया।

(ई) प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया है कि उसने एसबीआई से 72,240 रुपये का किराया प्राप्त किया है, हालांकि, मरम्मत, पुनर्निर्माण और ब्याज आदि पर किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए शुद्ध राशि 24,586.50 रुपये आती है, जो खातों में विधिवत परिलक्षित होती है। और प्रतिवादी संख्या 4 का आयकर रिटर्न। यहां तक कि आवेदन पत्र (अनुलग्नक) पी-3 और पी-11) में भी संपत्ति से आय जो बताई जानी आवश्यक थी, वह कर के प्रयोजन के लिए घोषित और मूल्यांकन किया गया किराया था। प्रतिवादी संख्या 4 ने आवश्यकता का विधिवत अनुपालन करने का दावा किया है और कहा है कि उसने अपने आवेदन पत्र (अनुलग्नक पी-11) में सही आंकड़े का खुलासा किया है। इस बात से इनकार किया गया है कि एसबीआई बिल्डिंग में पक्की सड़क से सटी हुई दो दुकानें थीं। प्रतिवादी संख्या 4 ने केवल एक दुकान को स्वीकार किया है जो खाली पड़ी है। इस प्रकार, उक्त दुकान से कोई किराये की आय नहीं है। इस बात से इनकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 की सकल पारिवारिक आय 3,55,184.80 रुपये से अधिक है। 1999-2000 के लिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई थी (अनुलग्नक आर-4/9)। संशोधित आयकर रिटर्न के अनुसार 1999-2000 के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 की घोषित सकल आय 2,00,000 रुपये से कम थी और यह इस प्रकार है: -

घर की संपत्ति से आय = रुपये.24,586.0

व्यापार से आय = रुपये.18,619.0

अन्य स्रोतों से आय = रुपये.801.30

कृषि से आय = रुपये.1,02,100

कुल सकल आय = रुपये.1,46,100

यह दावा किया गया है कि भले ही दो एफडीआर से प्राप्त ब्याज की राशि 12,000 रुपये और पीएनबी के खाते में अर्जित ब्याज की राशि 101 रुपये को ध्यान में रखा जाए, तो 1999-2000 के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 की कुल सकल आय रुपये आती है। 1,58,207 और 80 पैसे [1,46,106.80 + 12,000 +101] जो कि अभी भी 2,00,000 रुपये से कम है।

(7) हालाँकि, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान की प्रतिकृति दायर की है। प्रतिवादी संख्या 3 के लिखित बयान की प्रतिकृति में, याचिका में दिए गए कथनों को दोहराया गया है। यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने लिखित बयान में पंजाब नेशनल बैंक, सीवान के खाता संख्या 9135 का खुलासा किया है। सीवान को-ऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी, सीवान में चालू क्रेडिट खाता और सीवान में भारतीय स्टेट बैंक के खाते का भी खुलासा नहीं किया गया है। एफडीआर में उनकी मां, पत्नी और नाबालिग बच्चे के खाते में 1,04,000 रुपये की राशि का भी खुलासा नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 की मां की मृत्यु के बाद एफडीआर उनकी पत्नी के नाम हो गई है। पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए यदि किसी आवेदक को गलत या गलत जानकारी दी गई पाई जाती है तो उसका आवेदन बिना कोई और कारण बताए खारिज कर दिया जा सकता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने जानबूझकर उस कारण से पूछताछ नहीं की है जो उसे सबसे अच्छी तरह पता है।

(8) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान की प्रतिकृति में, प्रारंभिक आपत्ति का खंडन किया गया है और यह दावा किया गया है कि रिट याचिका कायम रखने योग्य है क्योंकि तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। आय छुपाने के संबंध में लिखित बयान के पैरा 9 में दिए गए कथनों के संबंध में, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में अपना रुख दोहराया है। 15,658 रुपये 16,000 रुपये की आय के संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 का दावा खारिज कर दिया गया है कि 17 मई 1998 को प्रतिवादी संख्या 4 की मां की मृत्यु के बाद, उनकी मां के साथ-साथ पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए एफडीआर पर ब्याज वितरित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 और उसके भाई राम लाई मेहता के बीच क्योंकि उपरोक्त एफडीआर में किसी एक या उत्तरजीवी की हैसियत से उसकी मां और पत्नी के संयुक्त नाम पर 52,000 रुपये की राशि

थी। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह था कि प्रतिवादी संख्या 4 की मां की मृत्यु के बाद एक एफडीआर की 52,000 रुपये की राशि स्वचालित रूप से प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी श्रीमती प्रेम कांता को बिना किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ के चली जानी थी। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बताए गए 16,000 रुपये के ब्याज को प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी की आय के रूप में माना जाना चाहिए, जो कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए प्रतिवादी संख्या 4 की आय में गिना जाने योग्य है। कहा गया है कि दोनों एफडीआर को नवीनीकृत या भुनाया नहीं गया है, इस तथ्य का खुलासा धन के स्रोतों के प्रतिवादी संख्या 4 कॉलम 18 द्वारा नहीं किया गया है। एफडीआर का खुलासा प्रतिवादी संख्या 3 को नहीं किया गया और न ही इसे प्रतिवादी संख्या 4 की आय में जोड़ा गया।

(9) श्री पवन कुमार को 70,000 रुपये का अग्रिम ऋण देने के सिद्धांत के संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्रतिकृति के पैरा 9 (बी) में आगे कहा है जो निम्नानुसार है: -

> *"**(बी) 22,800 रुपये की आय -** लिखित विवरण का वह उप-पैरा (बी) गलत है और अस्वीकार किया गया है। इस बात से विशेष रूप से इनकार किया जाता है कि वर्तमान प्रतिवादी ने किसी पवन कुमार को 70,000 रुपये का ऋण दिया था, जैसा कि उत्तर के तहत पैरा में आरोप लगाया गया है, क्योंकि कहीं भी यह खुलासा नहीं किया गया है कि कथित पवन कुमार को किस प्रकार का ऋण दिया गया था और किस उद्देश्य से और किस उद्देश्य से दिया गया था। क्या नियम और शर्तें. यह खुलासा नहीं किया गया है कि 70,000 रुपये का कथित ऋण किसी पवन कुमार को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया था या वर्तमान प्रतिवादी द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पवन कुमार मेहता वर्तमान प्रतिवादी के साथी का भाई है जो कि श्री आरसी मेहता के पुत्र राजिंदर मेहता हैं। ऐसा लगता है कि यह पैसा किसी व्यावसायिक लेनदेन पर दिया गया है क्योंकि वर्तमान प्रतिवादी की ओर से इसके संबंध में कोई हलफनामा और आयकर रिटर्न की बैलेंस शीट दाखिल नहीं की गई है। इसके अलावा, इस राशि को आवेदन पत्र में किसी अन्य जमा के मद में धन के स्रोत के कॉलम में नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा, श्री पवन कुमार द्वारा कथित तौर पर लौटाए गए 25,000 रुपये के संबंध में किस स्रोत से कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, पुनर्भुगतान के आधार पर ऋण के रूप में दी गई राशि एक जमा राशि है। इसका खुलासा वर्तमान प्रतिवादी को कॉलम नंबर 18 यानी धन के स्रोत में करना था। इसके अलावा आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, कोई भी 20,000 रुपये से अधिक नकद*

भुगतान नहीं कर सकता है। इसलिए, कथित पुनर्भुगतान झूठा, फर्जी है और केवल इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने और उस कमी को पूरा करने के लिए किया गया है जिसका खुलासा पहले आवेदन पत्र में नहीं किया गया था और वर्तमान प्रतिवादी की आय को छिपाने के लिए किया गया था।"

(10) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने भाई के साथ हितों की हिस्सेदारी को भी पैरा 9 (सी) में विवादित किया गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

*"(सी) **64,379 रुपये की आय अब 77310 रुपये–** लिखित बयान का वह उप-पैरा संख्या (सी) गलत है और अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान ट्रैक्टर ऋण खाते में एसबीआई, सीवान में जमा की गई 77,310 रुपये की आय को छुपाया है, जैसा कि वर्तमान में प्रस्तुत अनुबंध आर-4/5 में विवरण दिया गया है। लिखित बयान के साथ प्रतिवादी. वर्तमान प्रतिवादी ने 77,310 रुपये की उक्त आय को छुपाने के लिए गलत बताया है कि 17 मई 1998 को वर्तमान प्रतिवादी की मां की मृत्यु के बाद, उपरोक्त ट्रैक्टर ऋण के आधे हिस्से की अदायगी वर्तमान प्रतिवादी के भाई द्वारा की गई थी। तर्क के लिए (यद्यपि इनकार किया गया है), यदि, यह माना जाता है कि वर्तमान प्रतिवादी के भाई ने अपनी माँ के ऋण का हिस्सा चुकाने का वचन दिया था जो कि 38,655 रुपये बनता है, लेकिन उक्त पैरा में वर्तमान प्रतिवादी ने कहा था कि उसका भाई राम लाई ने ऋण खाते में अपनी मां के हिस्से के रूप में 1 सितंबर 1999 को 21,500 रुपये + 1 अक्टूबर 1999 को 8,000 रुपये + दिसंबर 1999 में 8,500 रुपये का भुगतान किया, इससे पता चलता है कि वर्तमान उत्तरदाताओं द्वारा किए गए सभी दावे झूठे और तुच्छ हैं। इसके अलावा, वर्तमान प्रतिवादी के भाई राम लाई द्वारा किए गए भुगतान के बारे में कोई दस्तावेज/शपथ पत्र लिखित बयान के साथ संलग्न नहीं किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आर-4/5 के अवलोकन से पता चलता है कि जब भी वर्तमान प्रतिवादी ने एसबीआई खाते में राशि जमा की तो उसे पवन कुमार और राम लाई द्वारा भुगतान किया गया दिखाया गया है। इसके अलावा, वर्तमान प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है, जहां से आर-4/5 में दर्शाई गई विभिन्न तिथियों पर पवन कुमार और राम लाई द्वारा इस पैसे की व्यवस्था की गई है। यह सब दिखावटी लेन-देन वर्तमान प्रतिवादी द्वारा दिखाया गया है। पवन कुमार*

द्वारा दायर हलफनामा भी एक है। जिस व्यक्ति को बैंक का ऋण ब्याज सहित चुकाना होता है, उस व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वह अपने पैसे का उपयोग बिना ब्याज के करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बिना ब्याज के ऋण देगा। इसलिए, यह सब दर्शाता है कि इस पैरा में फर्जी लेनदेन का उल्लेख किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के साथ-साथ धन के अन्य स्रोतों के साथ-साथ जमा/ऋण को भी छिपाया गया है जो कथित तौर पर पवन कुमार और मुनीश मेहता को दिए गए थे।"

(11) पैरा 9(डी) में 55,000 रुपये के संबंध में और स्पष्टीकरण दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

"(डी) खाता संख्या में 55,200 रुपये की आय जमा की गई। 12 जून 1999 को पीएनबी सीवान में 9135 रुपये, अब 6 अगस्त 1999 को उक्त खाते से 20,000 रुपये की राशि के रूप में 35,200 रुपये निकाल लिए गए और 2 सितंबर, 1999 को एसबीआई, सीवान में जमा कर दिए गए। लिखित बयान का वह उप-पैरा (डी) गलत है और इसका खंडन किया गया है। वर्तमान प्रतिवादी की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि उसने पीएनबी, सीवान के खाता संख्या 9135 का खुलासा नहीं किया है, जिसे आवेदन दाखिल करने के समय उसके द्वारा संचालित किया जा रहा था। वर्तमान प्रतिवादी ने मुनीश मेहता से उनके द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी के संबंध में एक झूठा हलफनामा प्राप्त किया। जैसा कि उपर्युक्त उप-पैरा (बी) में पहले ही कहा गया है, आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोई भी निकाय 20,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान नहीं कर सकता है। इसके अलावा, कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जो दर्शाता हो कि उस समय मेसर्स श्री राम सीड्स से 5,000 रुपये की कथित निकासी, जिसमें वर्तमान प्रतिवादी भागीदार है, उपरोक्त फर्म से वापस ले ली गई है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 से संबंधित अवधि के लिए आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए आयकर अधिकारी, वार्ड नंबर 1 कैथल के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। मेसर्स श्री राम सीड्स, सीवान। आवेदन की एक प्रति अनुलग्नक पी-14 के रूप में प्रतिकृति के साथ यहां संलग्न है। याचिकाकर्ता को पता चला कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 से संबंधित श्री राम सीड्स के आयकर रिटर्न में प्रतिवादी संख्या 4 के खातों के विवरण में 5,000 रुपये की कथित निकासी की कोई प्रविष्टि मौजूद नहीं है। यह सब दर्शाता है कि वर्तमान प्रतिवादी द्वारा दिए गए विवरण को जानबूझकर, स्वेच्छा से केवल चीका, जिला कैथल में एलपीजी की

डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए छुपाया गया है। वर्तमान प्रतिवादी ने स्वयं स्वीकार किया कि इन प्रविष्टियों का खुलासा आवेदन पत्र में नहीं किया गया है। इसमें आय के साथ-साथ धन के अन्य स्रोतों को भी छिपाया जाता है। इसलिए, आवेदन खारिज किया जा सकता है और साथ ही वर्तमान प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में प्रतिवादी बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम को रद्द किया जाना चाहिए और इसे वर्तमान याचिकाकर्ता को आवंटित किया जाना चाहिए क्योंकि वह उत्तराधिकारी उम्मीदवार है जो सभी पात्र मानदंड और शर्तें पूरा करती है।"

(12) किराये की आय के संबंध में, अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

"(ई) 72,240 रुपये + 13,200 रुपये की सीमा तक किराये की आय - लिखित विवरण का वह उप-पैरा (ई) गलत है और अस्वीकार किया गया है। एसबीआई की इमारत से किराये की आय प्रति वर्ष 72,240 रुपये है, न कि 24,586.50 रुपये, जैसा कि वर्तमान प्रतिवादी ने अपने उत्तर में आरोप लगाया है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि 1999-2000 के वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मरम्मत और पुनर्निर्माण, रखरखाव किया गया था या नहीं। वर्तमान प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है कि दुकान खाली पड़ी है। दुकानें चीका-पटियाला रोड पर मुख्य बाजार में स्थित हैं, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। संबंधित दुकानों में एक दुकान स्पेयर पार्ट्स की और दूसरी दुकान होटल की वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान चलाई जा रही थी। बाजार समिति, सीवान के पूर्व अध्यक्ष मदन लाई वाधवा, पुत्र श्री नारायण दास वाधवा का एक हलफनामा इस माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए अनुलग्नक पी-15 के रूप में प्रतिकृति के साथ संलग्न है। दुकानों और एसबीआई की इमारत वर्तमान प्रतिवादी और उसके भाई के नाम पर साझा है। एसबीआई से बिल्डिंग का कुल किराया 1,44,480 रुपये और दो दुकानों से 26,400 रुपये था। यह झूठी कहानी है कि मुख्य बाजार में जो दुकान वर्तमान प्रतिवादी के हिस्से में आती है, वह खाली पड़ी थी। इस पैराग्राफ में वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही बताई गई आय सही है। माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए वर्तमान प्रतिवादी द्वारा इस पैरा में गलत सकल आय दिखाई गई है। ताज़ा विवरण इस प्रकार दिया गया है:-

"(i) आयकर रिटर्न में दर्शाई गई वार्षिक आय - (रु. 1,65,305.50 + रु. 801.30।) - ***रु.1,66,106.80***

(ii) एफ.डी.आर. के ओ.बी.सी., सीवान पर अर्जित ब्याज - ***रु16,000.00***

(iii) खाता संख्या में लौटाई गई राशि सीवान सहकारी समिति का 3993 - ***रु22,800.00***

(iv) एस.बी.आई., सीवान में ट्रैक्टर ऋण खाते में लौटाई गई राशि- ***रु.77,310.00***

(v) अर्जित ब्याज और खाता संख्या में जमा राशि। 9135 पी.एन.बी. सिवान (रु. 55,200.00 - रु.20,000.00 पीएनबी से निकासी से 2 सितंबर, 1999 को एसबीआई सीवान में जमा किए गए) - ***रु.35301.00***

(vi) एस.बी.आई. से किराया। शाखा, सीवान (रु. 72,240.00 - रु. 24,586.50) - ***रु.47,653.50***

(vii) दो दुकानों का किराया ऊपर (ई) पर - ***रु.13,200.00***

कुल - रु. 3,78,371.30"

(13) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पर दावा किया है। नंबर 4 ने अपनी आय को गलत तरीके से प्रस्तुत करके महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है और उसकी आय बताई गई आय से कहीं अधिक है।

(14) जब मामला 17 अगस्त 2001 को सुनवाई के लिए आया, तो इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश के साथ प्रस्ताव का नोटिस जारी किया कि प्रतिवादी संख्या 4 को किए गए आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। 13 मार्च 2002 को याचिका को एक वर्ष के भीतर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। हालाँकि, यह बताना उचित होगा कि 20 दिसंबर 2001 को पार्टियों के समझौते पर, आय के सवाल पर विवाद को साक्ष्य दर्ज करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चंडीगढ़ की अदालत में भेजा गया था। 20 दिसंबर 2001 का आदेश इस प्रकार है:-

"दलीलें आंशिक रूप से सुनी जा चुकी हैं। याचिकाकर्ता की ओर से प्राथमिक तर्क यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 एलपीजी डीलरशिप के आवंटन के लिए अयोग्य था क्योंकि वित्तीय वर्ष 1999- 2000 के लिए उसकी आय 2 लाख रुपये से अधिक थी। याचिका में कहा गया है कि ब्रोशर में परिभाषित प्रतिवादी संख्या 4 के परिवार की आय 3,55,184.80 रुपये थी। श्री अग्रवाल का कहना है कि वास्तव में उन्हें यह दिखाने के लिए अधिक सबूत मिले हैं कि आय याचिका के पैराग्राफ 9 में उल्लिखित आय से भी कहीं अधिक थी।

याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावे का उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने विरोध किया है। तथ्यों पर इस विवाद के मद्देनजर, पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि मामले को साक्ष्य और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सिविल जज, सीनियर डिवीजन, चंडीगढ़ की अदालत में भेजा जा सकता है। पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 7 जनवरी 2002 को सिविल जज, सीनियर डिवीजन, चंडीगढ़ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। वह याचिकाकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक तारीख देंगे। अधिकारी 8 फरवरी 2002 को या उससे पहले वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए ब्रोशर के तहत प्रतिवादी संख्या 4 और परिवार की आय के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मामला 15 फरवरी 2002 को बेंच के समक्ष पोस्ट किया जाएगा। अंतरिम आदेश जारी रहेगा।"

(15) उपरोक्त रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में रखा गया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चंडीगढ़ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय 3,99,534.80 पैसे रुपये बनती है। पैरा 22 में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अकेले रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजी सबूत से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 4 और उसके परिवार की सकल आय संबंधित वित्त वर्ष में 2,00,000 रुपये की आवश्यक राशि से कहीं अधिक है।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एके चोपड़ा ने मेरे समक्ष दो दलीलें रखी हैं। सबसे पहले, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 6 अक्टूबर, 2000 (पी-1) के विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 2,00,000 रुपये की सकल आय आवश्यक है। उन्होंने खंड 2(ई) का उल्लेख किया है, जो 2,00,000 रुपये से अधिक की सकल पारिवारिक आय प्रदान करता है। दूसरे, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आवेदन पत्र के साथ प्रसारित पात्रता मानदंड के अनुसार, यदि आवेदन में या ऐसे आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में दिया गया कोई भी बयान गलत पाया जाता है या गलत पाया जाता है, तो ऐसा आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य था और ऐसे उम्मीदवार को प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं करना था।

(17) विद्वान वकील ने अनुबंध पी-1 के खंड 2 (ई) के आधार पर अपने तर्क की पुष्टि की है, जो कि आवेदन पत्र है और इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक की सकल पारिवारिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे अनुबंध पी-2 में विस्तृत पात्रता मानदंड का उल्लेख किया है। अनुबंध पी-2 के खंड 6 के अनुसार, विज्ञापन में निर्दिष्ट प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए उम्मीदवार की सकल आय 2,00,00 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 2,00,000 रुपये की आय में उम्मीदवार, उसके पति या पत्नी और आश्रित

बच्चों की आय शामिल थी। उन्होंने आगे बताया कि यदि उम्मीदवार माता-पिता पर निर्भर है तो कुल आय की गणना के लिए माता-पिता की आय को भी जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 4 (पी-एलएल) के आवेदन पत्र के खंड 9 का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि समान आय मानदंड दोहराया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 की आवश्यकता यह है कि भले ही किसी भी व्यक्ति की आय शून्य हो, इसे विशेष रूप से बताया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सभी स्रोतों जैसे वेतन, संपत्ति, ब्याज, लाभांश, कृषि और अन्य स्रोतों आदि से आय को शामिल करना आवश्यक है। यदि आवेदक एक आयकर निर्धारिती है, तो वार्षिक आय घोषणा में दिखाए गए आय के विवरण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न में दर्शाए गए विवरण के अनुरूप होने चाहिए। आयकर अधिकारी के मूल्यांकन आदेश की एक प्रति भी संलग्न करना आवश्यक था। यदि आवेदक आयकर निर्धारिती नहीं था, तो विवरण को अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ समर्थित किया जाना था, जिसका उल्लेख खंड 9 के उपखंड (ए) से (ई) में किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

*"**(ए) सकल वेतन :** नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कुल परिलब्धियों को दर्शाने वाला एक प्रमाणपत्र*

***(बी) आय प्रपत्र :** कर के प्रयोजन के लिए घोषित और मूल्यांकित किराया।*

***(सी) बैंक पर ब्याज :** बैंक (बैंकों) की जमाराशियों से पत्र ब्याज के रूप में भुगतान/जमा की गई वास्तविक राशि दर्शाना।*

***डी) व्यवसाय/पेशे/व्यवसाय/शेयरों और अन्य निवेशों/अन्य स्रोतों से आय:** इनमें से प्रत्येक शीर्ष के तहत दर्शाई गई आय के समर्थन में चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदक को बताई गई आय के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है।*

***(ई) कृषि से आय -** मामलातदार/तहसीलदार से एक प्रमाण पत्र जिसमें कृषि भूमि का स्थान और उससे होने वाली आय स्पष्ट रूप से बताई गई हो।"*

(18) आर-3/1 में प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा की गई घोषणा का हवाला देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 1,65,305 रुपये की आय दर्शाई गई है, जबकि फॉर्म में शुद्ध आय नहीं, बल्कि सकल आय दर्शाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक से 72,240 रुपये की किराये की आय सकल आय का गठन करेगी, जबकि कटौती के बाद 24,586.50 रुपये दिखाई गई आय शुद्ध आय होगी और इसलिए, 47,653 रुपये की राशि जो सकल का हिस्सा है आय

परिलक्षित नहीं हुई है। उन्होंने तब संदर्भित आय 1,02,100 रुपये दिखाई है। उन्होंने मेरा ध्यान सिविल जज के रिकॉर्ड के पृष्ठ 283 पर प्रदर्श पी-71 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक से भवन किराए में 54 हिस्सा 72,240 रुपये दिखाया गया है और धारा 24 के तहत कटौती की गई है। I)(i) ने 47,653.50 रुपये का दावा किया है। शुद्ध आय में कुल राशि 24,586.50 रूपये दर्शायी गयी है। विद्वान वकील के अनुसार 72,240 रुपये की पूरी राशि को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है क्योंकि यह सकल आय है। फिर उन्होंने पृष्ठ 287 पर संशोधित रिटर्न प्रदर्शनी पी-72 का उल्लेख किया है, जिसमें उनकी कृषि आय से 20,000 रुपये की और कटौती का दावा किया गया है, जिसे बाद में 1,02,100 रुपये दिखाया गया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यदि कुल राशि 47,653 रुपये जोड़ दी जाए तो प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय 2,00,000 रुपये से अधिक माननी होगी क्योंकि कृषि आय से 20,000 रुपये और किराये की आय से 47,653 रुपये की कटौती की जाती है। इसे सकल आय बनाने के लिए जोड़ा जाए। विद्वान वकील ने तब एफडीआर पर 12,000 रुपये की अर्जित ब्याज का उल्लेख किया है जिसे रिटर्न (आर-4/8) और संशोधित रिटर्न [आर-4/9 (जारी)] में भी नहीं दिखाया गया है। उपरोक्त प्रविष्टि को पैरा 9(ए) में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा स्वीकार किया गया है और 801.30 पैसे की अतिरिक्त राशि, जो अन्य स्रोतों से आय है, स्वीकार की गई है। इसलिए, निम्नलिखित आय, जिसे छुपाया गया है और अब प्रकट किया गया है, को प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय में जोड़ा जाना आवश्यक है: -

क्रमांक संक्या	**विवरण**	**धनराशि (रू.)**
(i)	किराये की आय से अवैध रूप से कटौती की गई राशि	47653.00
(ii)	जीवनसाथी की एफडीआर की ब्याज राशि, जिसका खुलासा नहीं किया गया	12000.00
(iii)	अन्य स्रोतों से आय	801.30
(iv)	पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जो ब्याज अर्जित हुआ	101.00
	कुल	60555.30

(19) यदि उपर्युक्त आंकड़े को पहले से ही परिलक्षित आय के खाते में जोड़ा जाए जो कि 1,60,305 रुपये है तो यह 2,00,000 रुपये से कहीं अधिक है।

(20) उपरोक्त निवेदन सिविल कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिकार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के किया गया है। पक्षों की सहमति से तैयार की गई सिविल जज की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 4 की आय 3,99,534 रुपए 80 पैसे आंकी गई है।

(21) विद्वान वकील की अन्य दलील यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 का आवेदन पत्र पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (अनुलग्नक पी -2) के पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड के भाग -2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदन में या उसके साथ संलग्न दस्तावेज़ में या बाद में किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किए गए किसी भी कथन को गलत या गलत पाया जाता है, ऐसे आवेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जा सकता है। श्री चोपड़ा ने मेरा ध्यान पात्रता मानदंड के भाग-2 (पी-2) की ओर आकर्षित किया है। अपने तर्क को विस्तार से बताते हुए उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 (पी-11) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का उल्लेख किया है। उपर्युक्त आवेदन में पैरा 17 में उप-शीर्षक 'धन के स्रोत का विवरण दें' के तहत, उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में केवल दो बैंक खातों का खुलासा किया है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या 3663 है। , 20,000 रुपये की राशि का प्रतिनिधित्व करता है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में खाता संख्या 394, 15,000 रुपये का प्रतिनिधित्व करता है। चालू खाते से संबंधित कॉलम को खाली दिखाया गया है। इसके बाद उन्होंने आर-4/7 का हवाला दिया, जिससे पता चलता है कि पंजाब नेशनल बैंक में उनका एक और खाता है, खाता संख्या 9135 और अनुलग्नक में खाते का विवरण 31 मार्च 2000 तक का खाता दिखाता है। प्रदर्शनी पी-58 का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट फ़ाइल पर (पृष्ठ 175 पर)। विद्वान वकील ने बताया है कि यह खाता 17 मार्च, 2001 तक भी जारी है और दिखाया गया शेष 932 रुपये है। पंजाब नेशनल बैंक के उपरोक्त खाते का उनके आवेदन (पी-11) में खुलासा नहीं किया गया है। विद्वान वकील ने तब भारतीय स्टेट बैंक, सीवान (कैथल) में एक चालू खाते का हवाला दिया, जिसका नंबर एटीएल/109 (आर-4/5) है। विद्वान वकील के अनुसार, आवेदन की तिथि पर और वित्तीय वर्ष 1999-2000 के प्रयोजनों के लिए, इस खाते में शेष राशि 35,148 रुपये थी। यह एक और छिपाव है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के एफडीआर और प्रदर्शनी पी-13 के संबंध में पैरा 9 में किए गए दावों का भी उल्लेख किया है। एफडीआर (ईएक्स पी-13 और पी-14) के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 की मां श्रीमती लक्ष्मी देवी के खाते में 76,363 रुपये की राशि दिखाई गई थी। हालांकि, आवेदन पत्र में इसका खुलासा नहीं किया गया है। एफडीआर के संबंध में, विद्वान वकील ने श्रीमती प्रेम कांता द्वारा दिए गए 4 जून 2001 के शपथ पत्र का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सीडीआर खाता संख्या 511 और 512 के साथ दो एफडीआर हैं। उन एफडीआर में परिपक्वता राशि 1,52,726 रुपये थी और वह संवितरण के लिए तैयार थी। श्रीमती प्रेम कांता, जो प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी हैं, ने एलपीजी

वितरक में उपयोग के लिए एफडीआर की पेशकश की है। इन एफडीआर का न तो खुलासा किया गया है और न ही जीवनसाथी की आय में दर्शाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर 5,000 रुपये वाला एक एफडीआर खाता पंजाब नेशनल बैंक में पाया गया है, जैसा कि सिविल कोर्ट फ़ाइल के साथ प्रदर्शनी पी-56 से स्पष्ट है। इसका खुलासा भी आवेदन पत्र में नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 के पुत्र दीक्षित मेहता के नाम पर खोले गए खाते के संबंध में भी यही स्थिति है, जिसका एफडीआर संख्या 586169, दिनांक 22 जुलाई 2000 है, जिसे नवीनीकृत किया गया है और उसी का परिपक्वता मूल्य 12,750 रुपये दिखाया गया है। 1 नवंबर, 2003 तक (उदा. पी-43) ट्रायल कोर्ट फ़ाइल के साथ। फिर से आवेदन पत्र में इसका खुलासा नहीं किया गया है, जिसे पति/पत्नी के साथ-साथ बच्चों की आय के रूप में दिखाया जाना आवश्यक था।

(22) प्रतिवादी संख्या 4 की उपरोक्त आय, जो कि 2,00,000 रुपये से कहीं अधिक है और सक्रिय छिपाव के आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 4 को एलपीजी वितरकशिप देने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसके बजाय, याचिकाकर्ता का दावा है वरिष्ठता सूची में क्रमांक 2 पर होने के कारण उसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की जाए। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने राजबाला बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, (सिविल अपील संख्या 7718, 1995, 23 अगस्त 1995 को निर्णय लिया गया)। उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसे मामलों में जहां चयनित उम्मीदवार को अयोग्य पाया गया है, ऐसे पाठ्यक्रम को अपनाया जा सकता है, खासकर जब अब अपनाए गए मानदंड उस मानदंड से पूरी तरह से अलग हैं जिसके आधार पर वर्तमान मामले में चयन किया गया था। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां मानदंड अवैध पाए जाते हैं, अदालत के लिए पूरे चयन को रद्द करना और नए विज्ञापन के आधार पर नए चयन का निर्देश देना आवश्यक हो सकता है।

(23) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री आशीष कपूर और श्री हेमंत सरीन ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी आय घोषित की है। उन्होंने मेरा ध्यान आवेदन पत्र (पी-3) के कॉलम 9 की ओर आकर्षित किया है और कहा है कि आवेदन पत्र की आवश्यकता वार्षिक आय घोषणा में दर्शाई गई आय का विवरण दिखाना है, जिसे आयकर रिटर्न में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष दर्शाया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 के वार्षिक आयकर रिटर्न में दी गई घोषणा के अनुसार अपने आवेदन पत्र में सभी विवरण दिए हैं। आयकर रिटर्न में दर्शाई गई किराये की आय के संबंध में, श्री सरीन ने तर्क दिया है कि उन व्यक्तियों के मामले में जो आयकर निर्धारिती नहीं थे, किराए को घोषित के रूप में दिखाया जाना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार कर के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कॉलम 9(बी).

विद्वान वकील ने कहा है कि अगर सही ढंग से समझा जाए, तो किराए से आय की व्याख्या को उसी तरीके से घोषित किया जाना चाहिए, जिस व्यक्ति पर आयकर का निर्धारण किया जा सकता है, जैसे कि उस व्यक्ति का, जो आयकर के लिए कर निर्धारण योग्य नहीं है। इसलिए 47,653 रुपए की कटौती सही तरीके से की गई है। उन्होंने कृषि से होने वाली आय से संबंधित धारा 9(ई) का भी उल्लेख किया है। 1,02,100 रुपये को कृषि आय के रूप में दिखाने वाले असंशोधित रिटर्न की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान वकील ने बताया कि 20,000 रुपये की कटौती की जानी थी और संशोधित रिटर्न 14 अगस्त 2001 को दाखिल किया गया था, जैसा कि आर-4/9 से स्पष्ट है, जो रिट याचिका दायर करने की तारीख से बहुत पहले था। इसलिए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 की आय के संबंध में कोई गलत बयानी नहीं है और न ही कोई छिपाव है। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 से तथ्यों को छिपाने के संबंध में शायद ही कोई दावा किया गया है और वह इस संबंध में आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईआईडी पैरी (इंडिया) लिमिटेड, (2), वीके मजोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (3) और हरिहर प्रसाद बनाम बाल्मिकी प्रसाद (4) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा जताया है और विद्वान वकील ने तर्क दिया कि न्यायालय को तेल डीलर चयन बोर्ड जैसे विशेषज्ञ द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने के.विनोद कुमार बनाम एस. पलानीसामी और अन्य (5) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है।

(24) इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील श्री आशीष कपूर ने तर्क दिया है कि यदि यह न्यायालय रिट याचिका की अनुमति देता है तो याचिकाकर्ता को डीलरशिप देने के बजाय पूरे चयन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। 2002 के सिविल अपील नंबर 7416 और 7417 में वीजनोद कुमार त्रेहंड और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि रद्द करने के बजाय पूरे चयन को रद्द कर दिया जाना चाहिए- अकेले प्रतिवादी क्रमांक 4 का चयन।

(25) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें योग्य हैं और स्वीकार किए जाने योग्य हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र (पी-1) के खंड 2(ई) और चयन के मानदंड (पी-2) के खंड 6 पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। दोनों खंड इस प्रकार हैं:-

> "***2.आवेदक की पात्रता होनी चाहिए:***
> *(ई) पिछले वित्तीय वर्ष (1999-2000) में सकल पारिवारिक आय (आवेदन पत्र में परिभाषित परिवार) 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।*

***(6) सकल आय** - उम्मीदवार की पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की सकल आय नहीं होनी चाहिए, जैसा कि विज्ञापन में निर्दिष्ट है। इस प्रयोजन के लिए आय में स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों की आय शामिल होगी।*

यदि उम्मीदवार माता-पिता पर निर्भर है, तो कुल आय की गणना के लिए उनकी आय को भी ध्यान में रखा जाएगा।'

(26) उपरोक्त खंडों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किसी भी मामले में आवेदक की सकल पारिवारिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो इस मामले में 1999-2000 है। खंड 6 यह और स्पष्ट करता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों की आय को शामिल करना आवश्यक था। यदि उम्मीदवार माता-पिता पर निर्भर था तो कुल आय की गणना के लिए माता-पिता की आय को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक था, उपरोक्त पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, पहला प्रश्न यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या प्रतिवादी संख्या 4 की आय है खंड 2(ई) और 6 द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा से अधिक है? दस्तावेज़ अनुलग्नक आर-3/1 प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न एक अनुलग्नक है। दस्तावेज़ में स्वयं, पत्नी/पति और आश्रित बच्चों की शुद्ध आय नहीं बल्कि सकल आय शामिल होनी चाहिए और यदि कोई उम्मीदवार अपने माता-पिता पर निर्भर है तो पिता और/या माता की सकल वार्षिक आय शामिल होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी वार्षिक आय की घोषणा में 1,65,305 रुपये की राशि दिखाई है, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उक्त बैंक को किराये पर दी गई संपत्ति से कुल किराये की आय 72,240 रुपये आंकी गई है। याचिकाकर्ता को बिना कटौती के अपनी सकल आय दर्शाने की आवश्यकता थी। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भेजे गए उत्तर दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 (आर-4/3) से और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जहां कॉलम (बी) सकल आय के तहत, यह माना गया है कि % प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त भवन किराए में हिस्सेदारी 72,240 रुपये है और फिर भवन निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर भुगतान किए गए ब्याज की कटौती के साथ मरम्मत और संग्रह शुल्क की कटौती 47,653.50 पैसे की सीमा तक निर्धारित की गई है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा निकाली गई शुद्ध आय 24,586.50 पैसे है जबकि कुल आय 72,240 रुपये दर्शाई जानी आवश्यक थी। सिविल जज के रिकॉर्ड के पृष्ठ 283 पर प्रदर्श पी-71 के अवलोकन से भी ऐसी ही स्थिति सामने आती है। इसी तर्ज पर कृषि आय से दावा की गई 20,000 रुपये की कटौती भी है। उपर्युक्त स्थिति सिविल जज और अनुलग्नक आर-4/8, दिनांक 31 अगस्त 2000 के रिकॉर्ड के पृष्ठ 287 पर प्रदर्शनी पी-72 के अवलोकन से उत्पन्न होती है, जो वर्ष 1999-2000 के लिए आयकर रिटर्न है। रिटर्न में कृषि आय 1,22,100.00 रुपये दिखाई गई है, जबकि

संशोधित रिटर्न दाखिल किया गया है, जो प्रदर्श पी-72 है और कृषि आय 1,02,100 रुपये दर्शाई गई है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि संशोधित रिटर्न में कृषि आय से 20,000 रुपये की कटौती की गई है, जबकि सकल आय को आवेदन पत्र में दिखाना आवश्यक था। जीवनसाथी की सावधि जमा रसीद से अर्जित 12,000 रुपये की अगली राशि का भी आवेदन पत्र में खुलासा नहीं किया गया है। यह ध्यान देना उचित होगा कि उपरोक्त ब्याज आय या तो रिटर्न, अनुबंध आर-4/8 या संशोधित रिटर्न, अनुबंध आर-4/9 में परिलक्षित नहीं हुई है। उपरोक्त प्रविष्टि को प्रतिवादी संख्या 4 ने पैरा 9(ए) के उत्तर में स्वीकार कर लिया है। यदि उपरोक्त तीनों आंकड़े, जो कि 47,653 रुपये, 20,000 रुपये और 12,000 रुपये हैं, को 1,65,305 रुपये की आय में शामिल कर लिया जाए तो यह 2,00,000 रुपये से कहीं आगे निकल जाती है। यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र में कुल अघोषित सकल आय 79,653 रुपये है और यह रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से काफी हद तक साबित होता है, भले ही सिविल जज की रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा गया हो।

(27) मेरा यह भी मानना है कि सिविल जज की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2001 को पारित आदेश में पक्ष साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के लिए सिविल जज, चंडीगढ़ की अदालत को संदर्भित करने के लिए सहमत हुए हैं। और रिपोर्ट करें. सिविल जज ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 की सकल आय 3,99,534 रुपये 80 पैसे बनती है। किसी भी मामले में पैरा 22 में उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रिकॉर्ड पर दस्तावेजी सबूत से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 4 और उनके परिवार की सकल आय 2,00,000 रुपये के मानदंड द्वारा अनुमानित अधिकतम आय से कहीं अधिक है।

(28) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का दूसरा तर्क भी उतना ही सराहनीय है क्योंकि यह दिखाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने एलपीजी वितरक के पुरस्कार के लिए आवेदन करते समय प्रतिवादी संख्या 2 से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (पी-2) प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड के पैरा 2 में यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि यदि आवेदन में या उसके साथ संलग्न दस्तावेज़ में या बाद में किसी भी चरण में प्रस्तुत किया गया कोई भी विवरण गलत या गलत पाया जाता है, ऐसा आवेदन बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाना था। प्रतिवादी संख्या 4 (पी-11) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के पैरा 17 में उन्होंने केवल दो बैंक खातों का खुलासा किया है, पहला, भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या 3663, जो 20,000 रुपये की राशि का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा ओरेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में खाता संख्या 394 में 15,000 रुपये की राशि। चालू खाता संख्या' से संबंधित कॉलम को खाली दिखाया गया है। अनुलग्नक आर-4/5 के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 4 का भारतीय स्टेट बैंक, सीवान (कैथल) में चालू खाता संख्या एटीएल/109 था। खाता

चल रहा है और अनुलग्नक आर-4/5 1 अप्रैल 1999 से 20 फरवरी 2001 तक प्रविष्टियों की तारीख दिखाएगा। 28 अप्रैल 2000 को, उपरोक्त खाते में शेष राशि 35,148 रुपये है। पंजाब नेशनल बैंक में खाता संख्या 9135 (आर-4/7) समाप्त नहीं हुआ है जैसा कि प्रदर्शनी पी-57 और प्रदर्शनी पी-58 (सिविल जज के रिकॉर्ड के पृष्ठ 173 और 175 पर) से स्पष्ट है। इससे पता चलता है कि आवेदन जमा होने पर बैंक खाता 6 अक्टूबर 2000 को जारी था। प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी द्वारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सीवान में संचालित दो खातों, अर्थात् सीडीआर खाता संख्या 511 और 512 को भी छुपाया गया है। उपरोक्त तथ्य 4 जून 2001 के शपथ पत्र से स्पष्ट है। श्रीमती प्रेम कांता का प्रदर्शन पी-2, जो सिविल जज के रिकॉर्ड पर आ गया है। यह शपथ पत्र साक्षात्कार के समय प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर लिखित बयान के पैरा 9 में यह खुलासा किया गया है कि साक्षात्कार के समय, प्रतिवादी संख्या 4 ने श्रीमती प्रेम कांता का एक हलफनामा प्रस्तुत किया था कि उनके पास खाता संख्या 511 और 512 के माध्यम से सावधि जमा रसीदें थीं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कुल 1,52,726 रुपये जो परिपक्व हो गए हैं और वह प्रतिवादी संख्या 4 को उपरोक्त राशि देने के लिए तैयार थी। यहां तक कि इन एफडीआर को आवेदन पत्र में कहीं भी दर्शाया नहीं गया है। प्रतिवादी संख्या 4 के पुत्र दीक्षित मेहता के नाम पर एक और खाता खोला गया है, जिसका एफडीआर संख्या 586169, दिनांक 22 जुलाई 2000 है, जिसे नवीनीकृत किया गया है। जैसा कि प्रदर्शनी पी-43 में दर्शाया गया है, 1 नवंबर 2003 तक इसका परिपक्वता मूल्य 12,750 रुपये दिखाया गया है। फिर से इस एफडीआर को प्रतिबिंबित नहीं किया गया है क्योंकि आवश्यकता के अनुसार पति या पत्नी के साथ-साथ सभी आश्रित बच्चों की आय का खुलासा किया जाना चाहिए था। इसलिए, इस स्कोर पर भी तत्काल याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।

(29) हालाँकि, जो प्रश्न विचारणीय है वह यह है कि याचिकाकर्ता को क्या राहत दी जानी चाहिए? याचिकाकर्ता ने न तो मानदंडों को चुनौती दी है और न ही रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि चयन के मानदंडों में कोई अवैधता है जैसा कि विज्ञापन या आवेदन पत्र (पी-1 और पी-2) में बताया गया है। ऐसे मामलों में जहां अदालतों ने मानदंडों में अवैधता पाई है, तो पूरे चयन को रद्द कर दिया गया है, जैसा कि 2002 की सिविल अपील संख्या 7416 और 7417 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से स्पष्ट है, जिसका फैसला 18 नवंबर 2002 को विनोद कुमार त्रेहन के नाम से हुआ था। आदि बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य आदि। उनके आधिपत्य का दृष्टिकोण इस प्रकार है: -

> *"हमारे विचार में, एक बार जब उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन के साथ-साथ दृष्टिकोण भी दूषित था, तो चयन को रद्द करना और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और*

संबंधित को अनुमति देना आवश्यक होना चाहिए। अधिकारियों को सभी आवेदकों के चयन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी और इसे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए रिट याचिकाकर्ता को डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।

परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि प्रतिवादी-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने से पहले, कानून के अनुसार और संबंधित उम्मीदवारों की योग्यता के उचित मूल्यांकन के बाद तीन महीने के भीतर सभी आवेदकों के दावे पर नए सिरे से विचार करेगा।

जब तक नया चयन और आवंटन नहीं हो जाता, अपीलकर्ता, जिसने पहले ही डीलरशिप शुरू कर दी है और उसका संचालन कर रहा है, ऐसा करना जारी रखेगा।'

(30) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां चयन बोर्ड द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन दोषपूर्ण पाया जाता है, तो चयन को रद्द करना और प्राधिकारी को सभी आवेदकों के चयन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का निर्देश देना आवश्यक था।

(31) हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां एक चयनित उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का विचार चयन-सूची में अगले उम्मीदवार को राहत देना है, जैसा कि राजबाला के मामले (सुप्रा) में हुआ है। उस मामले में एक चयनित उम्मीदवार को आय मानदंड के आधार पर अयोग्य पाया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमीशन की थी, उनके आधिपत्य ने न केवल चयन और नियुक्ति को रद्द कर दिया बल्कि रिट याचिकाकर्ता को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का निर्देश दिया। अंतिम पैरा का उल्लेख करना उचित होगा, जो उपरोक्त स्थिति को सामने लाता है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

"*सातवें प्रतिवादी की अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए, जिसे योग्यता सूची में पहले स्थान पर रखा गया था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपीलकर्ता को प्रदान की जानी चाहिए थी, जो योग्यता सूची में दूसरे स्थान पर था। जो कुछ घटित हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि 7वें प्रतिवादी को 1 सितंबर, 1995 को और उसके बाद से, उपर्युक्त डीलरशिप के पुरस्कार के अनुसार, दूसरे प्रतिवादी के लिए डीलर के रूप में कार्य करना बंद कर देना चाहिए। उस तारीख से दूसरे प्रतिवादी को अपीलकर्ता को डीलरशिप*

प्रदान करनी चाहिए जो उस तारीख से उसके आधार पर व्यवसाय संचालित करने का हकदार होगा। निस्संदेह, अपीलकर्ता दूसरे प्रतिवादी की संतुष्टि के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।'

(32) वर्तमान मामले के तथ्य लगभग राजबाला के मामले (सुप्रा) के तथ्यों के समान हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं। वर्तमान मामले में भी प्रतिवादी संख्या 4 को आय मानदंड के आधार पर अयोग्य पाया गया है जबकि याचिकाकर्ता किसी भी विकलांगता से पीड़ित नहीं है। इसलिए, मेरी राय में याचिकाकर्ता को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना उचित और उचित होगा।

(33) आवेदन पत्र के कॉलम 9 और गैर-निर्धारिती के साथ आयकर निर्धारिती की तुलना के आधार पर प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क मुझे प्रभावित करने में विफल रहे हैं। एक व्यक्ति जो आयकर निर्धारिती नहीं है, वह पूरी तरह से अलग स्तर पर खड़ा है और उसे अपनी सकल आय का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने दो श्रेणियों के बीच अंतर किया है, जिसे तर्कहीन नहीं माना जा सकता है या ऐसे अंतर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। अन्यथा भी उपरोक्त भेद को किसी भी कार्यवाही में कोई चुनौती नहीं है। दूसरा तर्क कि इस न्यायालय को के. विनोद कुमार (सुप्रा) के फैसले के आधार पर अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा तैयार किए गए मानदंडों के अनावरण पर, प्रतिवादी संख्या 4 पाया गया है अयोग्य होना. ऐसी न्यायिक समीक्षा को अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं माना जा सकता। अत: उपरोक्त दोनों तर्क खारिज किये जाते हैं।

(34) ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका सफल होती है। यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 अयोग्य है क्योंकि उसकी आय 2,00,000 रुपये से अधिक है, जो कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा है। आगे यह निर्देश दिया जाता है कि एलपीजी वितरण याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाए जो अगला पात्र है। और मेधावी उम्मीदवार. प्रतिवादी संख्या 4 पर 25,000 रुपये की लागत लगाई गई है, जिसे याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान किया जाएगा। याचिकाकर्ता को एलपीजी वितरक का आवंटन इस आदेश की प्रमाणित प्रति याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा